संख्या-54/2023/223/001-223-23-10-23-48(सामान्य)/2022टी0सी0

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 17 फरवरी, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के जनपद मैनपुरी के 01 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (31वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्रांक-3053/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/ए0जी0आर0/2022-23, दिनांक 06.02.2023 **के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष** 2022-2023 **में राज्य योजना** (सामान्य) **के अनुदान सं**0-57/83 **के अंतर्गत आगरा क्षेत्र के जनपद मैनपुरी के 01 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम**-04 **में अंकित कार्य के सापेक्ष तालिका के कॉलम**-13 **में अंकित कुल धनराशि रू**0 60.00 **लाख** (**रूपये साठ लाख मात्र**) **की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/ शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-**

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/ जनपद का नाम	सेतु का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2021 तक आवंटन	दिनॉक 01.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आगरा	नि.ख. मैनपुरी	जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत मैन पुरी देवी रोड, ईसन नदी पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	569.31	465.46	103.85	0.00	0.00	103.85	**47.27**	**12.73**	**60.00**
			योगः-	569.31	465.46	103.85	0.00	0.00	103.85	**47.27**	**12.73**	**60.00**

अवमुक्त धनराशि रू0 **60.00 लाख** (**रूपये साठ लाख मात्र**)

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) **प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।**

(2) **प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समायावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।**

(3) **उपरोक्त पारियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।**

(4) **लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबधित बजट के ऑन लाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्य मदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुये सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने से संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-02 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

(5) **अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-23/ 2022/ बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक- 04-11-2022 में निहित शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।**

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 47,27 ,000 (**रुपये सैतालीस लाख सत्ताईस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 12,73,000 (**रुपये बारह लाख तिहत्तर हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07 **जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

संख्या-54/2023/223/001-223-23-10-23-48(सामान्य)/2022टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**

(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**

(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) **संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।**
(6) **नोडल अधिकारी, लो0नि0वि0।**
(7) **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।**
(8) **राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।**
(9) **संबंधित कोषाधिकारी।**
(10)**गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**